न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
88 / 2023	27.02.2023	26.02.2024

उनवान

1. घनश्याम पुत्र श्री बंशी लाल ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी नागौरी मौहल्ला पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
2. इन्द्रा देवी पुत्री श्री बंशी लाल ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज हाल मुकाम बावलास गंगरार तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ़
3. मंजु देवी पुत्री श्री बंशी लाल ब्राहम्ण वयस्क निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज. हाल मुकाम बावलास गंगरार तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ़
4. रेखा देवी पत्नि श्री सत्यनारायण ब्राहम्ण उम्र वयरक निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
5. स्व० श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बंशी लाल ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज. मृतक के लीगल प्रतिनिधि–
   1. श्री कैलाश जोशी पुत्र स्व० श्री राजेन्द्र कुमार बाहम्ण उम्र वयस्क निवासी ग्यारसमाता कॉलोनी पुर तहसील व जिला भीलवाडा ।
   2. श्री मुकेश जोशी पुत्र स्व० श्री राजेन्द्र कुमार बाहम्ण उम्र वयस्क निवासी ग्यारसमाता कॉलोनी पुर तहसील व जिला भीलवाडा
6. सम्पत देवी पुत्री श्री बंशी लाल ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज हाल मुकाम बावलास गंगरार तहसील राशमी जिला चित्तोडगढ़

– प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायण लाल पुत्र श्री श्रवग तेली उम्र वयस्क निवासी पटवार घर के सामने बस स्टेण्ड पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
2. बरदू पुत्र श्री लालू तेली उम्र वयस्क निवासी राजकीय अस्पताल के पास पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
3. श्यामलाल पुत्र श्री बालु तेली उम्र वयस्क निवासी राजकीय अस्पताल के पास पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. स्व० जयशंकर पुत्र श्री मोहन लाल ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज. मृतक के लीगल प्रतिनिधि–
   1. लादुलाल पुत्र श्री सोहनलाल आचार्य उम्र 45 वर्ष निवासी चोरडिया मोहल्ला पुर तहसील व जिला भीलवाडा
5. भंवरलाल पुत्र श्री अम्बालाल ब्राहम्ण उम्र 75 वर्ष निवासी तेलियो की बारी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.
6. स्व० श्री दुदा पुत्र श्री नारायण गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज मृतक के लीगल प्रतिनिधि–
   1. भैरूलाल पुत्र श्री दुदा गाडरी उम्र वयस्क निवासी गाडरी मोहल्ला बस स्टेण्ड पुर तहसील व जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

7. देबी लाल पुत्र श्री नारायण गाडरी उम्र वयरक निवासी ग्रडरी मोहल्ला बस स्टेण्ड पुर तहसील व जिला भीलवाडा।

8. शंकर पुत्र श्री नारायण गाडरी उम्र वयस्क निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.

9. दुर्गा शंकर पुत्र श्री प्यार चन्द ब्राम्हण उम्र 46 निवासी राजकीय अस्पताल के पीछे पुर तहसील व जिला भीलवाडा ।

10.श्री बसन्त कुमार पुत्र श्री प्यार धन्द बाम्हण उम्र 42 निवासी तेलियो की बाडी देवील रोड पुर तहसील व जिला भीलवाडा ।

11.नन्दराम गाडरी पुत्र श्री बगतावर गाडरी उम्र वयस्क निवासी गाडरी मोहल्ला बोरडा आटुण तहसील व जिला भीलवाडा ।

12.नारू गाडरी पुत्र श्री बगतावर गाडरी उस गाडरी मोहल्ला बोरडा आटुण तहसील व जिला वयस्क निवासी भीलवाडा

13.बदरी गाडरी पुत्र श्री बगतावर गाडरी उम्र वयस्क निवासी गाडरी मोहल्ला बोरडा आटुण तहसील व जिला भीलवाडा

14.भगवान गाडरी पुत्र श्री बगतावर गाडरी उम्र वयस्क निवासी गाडरी मोहल्ला बोरडा आटुण तहसील व जिला भीलवाडा।

15.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाड़ा राज.

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी मोहम्मद शरीफ डायर
अप्रार्थी संख्या 06 से 08, 11 लगायत 14 उपस्थित नही

:- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :-

- निर्णय -

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पुर प0ह0 पुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2065–2068 के खाता संख्या 1882 की अभिलिखित आराजियात 8904, 8905, 8907 कुल किता 03 कुल रकबा 1.9718 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 04/1, 5, 9, 10 उपस्थित नही। इनके विरूद्ध दिनांक 13.06.2023 को एक तरफा कार्यवाही की गयी। विपक्षी संख्या 06 से 08, 11 से 14 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा पुर प0ह0 पुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2065–2068 के खाता संख्या 1882 की अभिलिखित आराजियात 8904, 8905, 8907 कुल किता 03 कुल रकबा 1.9718 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा